न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

बईजलास श्रीमती श्वेता यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

वाद पत्र संख्या – 128/2014

बहादुरसिंह बनाम लादुराम वगैरा

दावा रिकार्ड दुरूस्ती इश्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 21/12/17

उपरोक्त प्रकरण मे विचाराधीन पत्रावली पर आज दिनांक 21.12.2017 को वकील प्रतिवादी द्वारा ऐतराज प्रकट किया कि पत्रावली पिछले 3 वर्षो से तल्वी हेतु विचाराधीन है एवं वकील वादी को बार बार न्यायालय द्वारा तामील करवाने हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी जानबूझकर उनके द्वारा शेष प्रतिवादीगण की तामील नही करवायी जा रही एवं एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर वादी द्वारा महज प्रकरण को विलम्ब किया जा रहा है इसलिये वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज किया जावे।

वकील वादी ने प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा किये गये ऐतराज का विरोध करते हुये जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 12, 13 का सही पता उन्हे प्राप्त नही है एवं प्रतिवादी द्वारा शेष प्रतिवादीगण का सही पता नही देने की सूरत मे तामील करवाया जाना संभव नही हो पा रहा।

उपरोक्त विषय पर उभय पक्षो को सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादी द्वारा दिनांक 19.06.2014 को उक्त वाद प्रस्तुत किया एवं उसी दिन प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर वादी को एकतरफा स्थगन आदेश दिया गया है तदउपरान्त वादी को लगातार तल्वी हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साधारण तलबाना प्रस्तुत नही किया जिस पर वादी के द्वारा मौखिक निवेदन पर दिनांक 29.10.2015 को शेष प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड तल्वी के आदेश पारित किये गये एवं रजिस्टर्ड तल्वी प्रस्तुत नही किये जाने पर दिनांक 07.01.2016 को रजिस्टर्ड तल्वी हेतु अन्तिम अवसर वादी को दिया गया। जिस पर दिनांक 24.6.2016 को वादी द्वारा रजिस्टर्ड तलबाना प्रस्तुत नही किये जाने पर वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज किये जाने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिये गये वादी द्वारा दिनांक 24.06.2016 को रजिस्टर्ड तलबाना प्रस्तुत किया। किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 6, 8 लगायत 10 व 12, 13 की तामील अधूरे पते पर आने पर पुनः सही पते के साथ रजिस्टर्ड तलबाना प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 25.07.2016 को पारित किये गये। जिस पर पुनः रजिस्टर्ड तलबाना प्रस्तुत नही करने पर पुनः दिनांक 24.08.2016 को न्याय हित मे वादी को रजिस्टर्ड तलबाना सही पते के साथ प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर वादी द्वारा दिनांक 26.09.2016 को पूर्व अधूरे पते के साथ तलबाना प्रस्तुत किया जिस कारण तामील वापस लौटने पर न्यायालय द्वारा वादी को दिनांक 28.02.2017 को सही पते के साथ रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने हेतु न्याय हित मे एक अवसर अन्तिम रूप से प्रदान किया गया उसके बावजुद वादी द्वारा लगभग 1 वर्ष से प्रकरण मे शेष प्रतिवादीगण की तामील करवाने हेतु कोई भी तलबाना प्रस्तुत नही किया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो से यह जाहिर होता है कि वादी जानबूझकर प्रतिवादीगण की तामील नही कराना चाहता एवं न्यायालय द्वारा वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाने हेतु पूर्व मे अनेको अवसर प्रदान किये जा चुके है ऐसी सूरत मे उक्त वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)